रूरल बैकयार्ड पॉल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम

.मुख्यमंत्री नारी ज्योति कार्यक्रम बिहार महादलित विकास मिशन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत पशुपालन विभाग द्वारा रूरल बैकयार्ड पॉल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम का क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के 6 जिलों यथा–पटना, नालन्दा, गया, जहानाबाद, आरा एवं वैशाली में प्रति जिला 2500 परिवारों को लो इन्पुट प्रजाती के चुजे देकर लाभान्वित किया जायेगा। इन 2500 परिवारों में 1250 परिवार महादलित समूदाय से होंगे। इन परिवारों को 45 चुजे 15–15 के तीन बैचों में उपलब्ध कराये जायेगे । इस योजना का लक्ष्य महादलित समूदाय की आय में वृद्धि के साथ–साथ उनके कुपोषण की समस्या को भी दूर करना है। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी बिहार महादलित विकास मिशन के वेबसाइट www.mahadalitmission.org से प्राप्त की जा सकती है।

जिले में इस योजना का संचालन जिला पदाधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण में होगा।

संबंधित पदाधिकारीयों के उत्तरदायित्व

1. इस योजना का क्रियान्वयन पशुपालन विभाग द्वारा बिहार महादलित विकास मिशन के सहयोग से किया जायेगा।
2. सहायक कुक्कुट पदाधिकारी महादलित परिवारों का चयन कर लाभान्वित परिवारों की सूची जिला कल्याण पदाधिकारी–सह–जिला परियोजना पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।
3. जिला कल्याण पदाधिकारी–सह–जिला परियोजना पदाधिकारी इस सूची को प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी/विकास मित्र से सत्यापित कराकर सत्यापित सूची सहायक कुक्कुट पदाधिकारी को सौंपेंगे जिसके आधार पर चुजों का वितरण होगा। इसकी एक प्रति बिहार महादलित विकास मिशन को समर्पित करेंगे।
4. जिला कल्याण पदाधिकारी –सह– जिला परियोजना पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का लाभ महादलित समुदाय की **महिलाओं** को प्राप्त हो।
5. सहायक कुक्कुट पदाधिकारी चुजे के वितरण के पश्चात इसकी सूची जिला कल्याण पदाधिकारी–सह–जिला परियोजना पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगे।
6. चुजों के वितरण के पश्चात सहायक कुक्कुट पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर जिला कल्याण पदाधिकारी–सह–जिला परियोजना पदाधिकारी सूची को प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी/विकास मित्र से सत्यापित कराकर बिहार महादलित विकास मिशन को रिपोर्ट सौपेंगे।
7. सहायक कुक्कुट पदाधिकारी योजना क्रियान्वयन की मासिक प्रगति प्रतिवेदन संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी–सह–जिला परियोजना पदाधिकारी को नियमित रूप से समर्पित करेंगे।
8. जिला कल्याण पदाधिकारी–सह–जिला परियोजना पदाधिकारी इस प्रतिवेदन का मूल्याकंन कर बिहार महादलित विकास मिशन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगे।
9. मदर युनिट की जाँच समय–समय पर जिला कल्याण पदाधिकारी–सह–जिला परियोजना पदाधिकारी/अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (प्रभारी महादलित) द्वारा किया जाएगा।
10. विकास मित्र अपने क्षेत्र के लाभान्वितों को योजना से होनेवाले लाभों के बारे में विस्तार से बतायेंगे तथा मुर्गी पालन के प्रति प्रोत्साहित करेंगे।
11. विकास मित्र प्रखण्ड स्तर के पशुपालन विभाग के अधिकारी से समन्वय करेंगे।

12. विकास मित्र इस योजना से संबंधित साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।
13. समय–समय पर विकास मित्र सामुदायिक सभा का आयोजन कर इस योजना के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करेंगे।
14. विकास मित्र नियमित रूप से इस योजना की सफलता से प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी को अवगत करते रहेंगे।

15. प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी अपने प्रखण्ड के अंतर्गत आनेवाले मदर युनिट तथा लाभान्वित परिवारों को प्रोत्साहित करेंगे तथा विकास मित्र से प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित कर जिला कल्याण पदाधिकारी –सह– जिला परियोजना पदाधिकारी/अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी (प्रभारी महादलित) को समर्पित करेंगे।

16. योजना कार्यान्वयन में आने वाने कठिनाईयों पर विचार–विमर्श कर समस्या का समाधान जिला कल्याण पदाधिकारी–सह–जिला परियोजना पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा । समस्या फिर से उत्पन्न नही हो, इसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी–सह–जिला परियोजना पदाधिकारी द्वारा उपाय किया जाएगा ।

***